

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक  
गटवाल मण्डल पौड़ी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~रेनली चार्ल्स स्कूल श्रीनगर~~  
~~पौड़ी गटवाल।~~

पत्रांक/श्री0स0/बेसिक/ 998-1000 /99-2000 दिनांक-5-6-89

बिषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 6 से 8 तक  
अस्थायी मान्यता के बारे में।

शासनादेश संख्या 646/15-97-18 एत 7/89 दिनांक  
15-2-97 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर  
गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6  
से 8 तक अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से  
प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय  
को निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षा उत्तर कर्मचारियों के पदों  
के सृजन की अनुमति प्रदान की जाती है।

1-प्रधानाध्यापक	एक
2-सहायक अध्यापक	चार आरक्षण सहित
3- लिपिक	एक
4-चतुर्थश्रेणी	एक

योग सात 7

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/कृषि अध्यापक भी  
सम्मिलित माने जायें। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन करने  
की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता  
को होगा। विज्ञप्ति निकाल कर चयन/अनुमोदन का कार्यवाही एक माह  
के भीतर सुनिश्चित करें।

श्रीमती सीमा जॉन्सारी  
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक  
गटवाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठ संख्या/श्री0स0/बेसिक/ /99-2000 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर शिक्षा निदेशक बेसिक 3090 इलाहाबाद।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, 3090 इलाहाबाद।
- 3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
- 4- कार्यालय गार्ड फाइल।

श्रीमती सीमा जॉन्सारी